संख्या-28/2016/आर-290/26-3-2016-रिट(6)/2015

प्रेषक,

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक
समाज कल्याण
उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः10 फरवरी, 2016

विषयः- रिट याचिका संख्या-3031/2014 बी0एन0 कालेज आफ इन्जीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी लखनऊ बनाम् उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक-22.05.2015 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-3692/स.क./शिक्षा/2015-16/लखनऊ, दिनांक-15.01.2016 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिका में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-22.05.2015 के अनुपालन में याची शिक्षण संस्था में वर्ष 2013-14 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं की दशमोत्तर शुल्कप्रतिपूर्ति की धनराशि रूपये-30.098 लाख (रूपये तीस लाख नौ हजार आठ सौ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष मे प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत करके आपके निवर्तन पर रखी गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2. उक्त भुगतान करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्राप्त सभी आवेदनकर्ता छात्र सुसंगत नियमावली की समस्त शर्तो को पूर्ण करते हो।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च 2015, में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

पृ.संख्या-28/2016/आर-290(1)/26-3-2016 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा)प्रथम,उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/लखनऊ।
3. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (दो अतिरिक्त प्रतियों सहित)
6. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
विजय प्रसाद त्रिपाठी
अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in